

अत्यावश्यक

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 25(ई)(116)स्था/निकाशि/2010/ 315

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय: पी.एच.डी. डिग्री धारक व्याख्याताओं को दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि की सूचना देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पी.एच.डी. डिग्री धारक व्याख्याताओं को अग्रिम वेतन वृद्धि देने एवं चयनित वेतन श्रृंखला में वेतन स्थिरीकरण करते समय दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देने से संबंधित व्याख्याताओं/कार्मिकों की सूचना निम्न प्रपत्र में अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें, ताकि उक्त सूचना राज्य सरकार (वित्त विभाग) को भिजवाई जा सके :-

S.No.	Name of Institute	Name of Official	Date of granting irregular benefit	Amount irregularly paid	
				Annual	cumulative upto July 2011

भवदीय,


निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर


क्रमांक: एफ 25(ई)(116)स्था/निकाशि/2010/ 315

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
2. संयुक्त निदेशक(स्थापना), निदेशालय।
3. रक्षित पत्रावली।

(4) श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता को वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु।


संयुक्त निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर


3.10.11